

// विज्ञापन //

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभा मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 07-41/2021 /आ.प्र. /1 दिनांक 06/01/2022 एवं चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक एफ 2-42/07/01/55 भोपाल दिनांक 17.12.2021 के द्वारा सीधी भर्ती के मामलों में राज्य स्तरीय संवर्ग, जिनमें पदों के लिये मॉडल रोस्टर में अ0पि0 वर्ग प्रतिशत 14% से बढ़ाकर 27 % किया गया के अनुसार संस्था में रिक्त सीनियर रेसिडेंट के पदों हेतु साक्षात्कार द्वारा नियुक्तियों की जाना है। भर्ती नियम के 1200-02 /स्था/राज/ 2021, भोपाल दिनांक 24.12.2021 एवं SR भर्ती नियम 2020 गांधी चिकित्सा महाविद्यालय अनुसार किया जाना है। विस्तृत जानकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की वेबसाइट [WWW.gmcbhopal.net](http://WWW.gmcbhopal.net) पर उपलब्ध है।

आवेदक निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन समस्त दस्तावेजों की छाया प्रति एवं अनारक्षित श्रेणी के आवेदक को 1000 रु एवं आरक्षित श्रेणी के आवेदक को 500 रु (डी.डी के माध्यम से जमा कर छाया प्रति संलग्न करे ) के साथ दिनांक 03/10/2022 सांय 5 बजे तक स्वयं अथवा पोस्ट द्वारा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की आवक शाखा में जमा कर सकते है। निर्धारित अवधि उपरांत प्राप्त आवेदनों पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जावेगा।

सीनियर रेसिडेंट रिक्त पदों की जानकारी

S.NO.	SUBJECT	अनारक्षित	अ.पि.व.	अ.ज.जा.	अ.जा.	ई.डब्लू.एस.	कुल
01	MEDICINE	—	01	—	—	—	01
02	CARDIAC ANESTHESIA	—	01	—	—	—	01
03	RADIO DIAGNOSIS	01	—	—	—	—	01
04	EMERGENCY MEDICINE	02	01	—	—	—	03
05	CARDIOLOGY	—	—	—	01	—	01
06	RESPIRATORY MEDICINE	—	01	—	—	—	01
	TOTAL	03	04	—	01	—	08

उपरोक्त चिन्हित पदों में अ.जा. = अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. = अनुसूचित जनजाति, अ.पि.व. = अन्य पिछड़ा वर्ग, के उम्मीदवारों हेतु आरक्षित है। सीनियर रेसिडेंट का वेतन - 76000/- (निर्वहन भत्ता), अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
 गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल

प्रतिलिपि :- सूचनात्र प्रेषित ।

1. संभागायुक्त भोपाल संभाग, भोपाल ।
2. संचालक चिकित्सा शिक्षा म. प्र. भोपाल ।
3. नोटिस बोर्ड गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानिया महिला चिकित्सालय, कमला नेहरू चिकित्सालय, हमीदिया चिकित्सालय, हॉस्टल ब्लॉक ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी ।
4. गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की Website पर ।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
 गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल

**SENIOR RESIDENT  
CHECK LIST**

Name of Candidate.....Category.....

Subject/Post & Category applied for.....

Option & Drafts.....Total No of Drafts.....

Contact No.....

**Documents**

1. High School/Higher Secondary Date of Birth & Age.....
2. MBBS Marks Aggregate/Total.....Percentage(%).....35%.....
3. MBBS Degree University Name.....
4. Internship Completion Certificate.....
5. MD/MS/M.Ch. Degree/M.Sc/PH.D.....Year of Passing.....  
Name of College.....Registration No.....
6. PG Attempts 1<sup>st</sup> /2<sup>nd</sup> /3<sup>rd</sup> .....
7. Higher Qualification DM/MCH.....
8. Post PG Experience.....
9. Publication/ Presentation in indexed Journal Nos.....  
.....Nations/state.....
10. Cast Certificate.....
11. Domicile Certificate (M.P.).....
12. MBBS Registration No. (State).....State Council.....
13. MD Registration No. (State).....State Council.....
14. Employer's NOC if working.....

Declaration I hereby declare that I am working/Not working in any Govt/Semi Govt institution at present.

Name & Signature of Candidate

(Name & Signature of Scrutiny officer)

आवेदन पत्र का प्रारूप

गांधी मेडिकल कॉलेज स्वशासी समिति, भोपाल(मध्यप्रदेश)

सीनियर रेसीडेंट

के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र वर्ष-2022

फोटो मय हस्ताक्षर

विज्ञापन क्रमांक.....

अंतिम तिथि.....

विषय.....

नोट - सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूरा की जावे।

1. बैंक ड्रॉफ्ट क्रमांक.....दिनांक.....राशि.....  
बैंक का नाम.....
2. आवेदक का नाम श्री/श्रीमती/कु./डॉ.....
3. आवेदक का (लिंग).....पुरुष/महिला.....
4. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
5. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....  
.....
6. दूरभाष क्रमांक.....मोबाइल क्रमांक.....  
स्थायी पता.....  
.....
7. दूरभाष क्रमांक.....मोबाइल क्रमांक.....
8. जन्मतिथि (हाई स्कूल/हायर सेकेंड्री परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें)
9. अंतिम तिथि को आवेदक की आयु.....दिन.....माह.....वर्ष.....
10. क्या आप म.प्र. के मूल निवासी हैं - हाँ/नहीं.....
11. जन्म स्थान की जानकारी - शहर.....जिला.....राज्य.....
12. बॉण्डेड कैंडिडेट है/अथवा नहीं ।
13. प्रमाण-पत्र यदि विद्यार्थी शाखा (गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल ) में जमा है तो उसका प्रमाण - पत्र संलग्न करें।
14. वर्ग - अनारक्षित/अनु.जाति/अनु. जनजाति /अ. पि. वर्ग/आ.क.व. ....  
.....  
(आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें )
14. मेडिकल काउंसिल का पंजीयन क्रमांक एवं राज्य का नाम.....  
(मेडिकल काउंसिल का स्थायी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें )

015. शैक्षणिक योग्यताए :- (प्रमाणपत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें )

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था / बोर्ड / वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक	प्रतिशत
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

16. व्यावसायिक अनुभव :-

क्र.	पदनाम	संस्था का नाम	दिनांक से	दिनांक तक	अशैक्षणिक / शैक्षणिक	अवशि
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

17. सेवारत है, तो नियोक्ता का नाम, पद, स्थान.....

(अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें ) ।

18. संलग्न प्रमाणपत्रों की सूची.....

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

आवेदक का पूरा नाम.....

**वचन पत्र**

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/ नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा। मुझ पर चिकित्सा महाविद्यालय के संवर्धन एवं संविलियन तथा भर्ती नियम पूर्ण रूपेण बंधनकारक होंगे। इन नियमों में समय समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर.....

आवेदक का पूरा नाम.....

### जूनियर रेसीडेंट

1. एम.बी.बी.एस पास कर इंटरनशिप पूर्ण कर ली हो।
2. चिकित्सको की इंटरनशिप साक्षात्कार के दिनांक से पिछले तीन वर्ष में पूर्ण हुई हो इसके पूर्व के चिकित्सक चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।
3. म.प्र. मेडिकल कौंसिल में पंजीयन प्रमाण पत्र।

**अवधि-** उक्त सभी पदों हेतु प्रथम नियुक्ति एक वर्ष होगी जिसका अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष हो सकता है। नियमानुसार एक वर्ष पूर्ण होने पर दो दिन का अंतराल पश्चात अवधि में वृद्धि की जावेगी साथ ही विभागाध्यक्ष द्वारा मूल्यांकन एवं वर्क रिपोर्ट संतोष जनक पाये जाने पर वृद्धि कि जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ-2-42/07/1/55 भोपाल दिनांक 23.07.2007 के अनुसार आरक्षित वर्ग के चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने पर सीटे अ.ज.जा/अ.जा./अ.पि.व. एवं अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सको से भरी जा सकेगी।

### सीनियर रेसीडेंट

1. एम.डी./एम.एस. /डी.एन.बी./ पी.जी. डिप्लोमा उत्तीर्ण कर लिया हो, भारत का राजपत्र असाधारण भाग III, खण्ड 4 नई दिल्ली सोमवार दिनांक 19.08.2019 के अनुसार।
2. निजि प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।
3. वह चिकित्सक जो डिग्री या प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन नहीं लगायेंगे या किये जाने वाले रजिस्ट्रेशन की रसीद नहीं लायेंगे उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी से संलग्न छात्रों को द्वारा जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में डिग्री हेतु आवेदन किए जाने हेतु रसीद लगाना अनिवार्य है

**अवधि-** उक्त सभी सीनियर रेसिडेन्ट के पदों हेतु नियुक्ति एक वर्ष होगी एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ-2-42/07/1/55 भोपाल दिनांक 23.07.2007 के अनुसार आरक्षित वर्ग के चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने पर सीटे अ.ज.जा/अ.जा./अ.पि.व. एवं सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सको से भरी जा सकेगी। आरक्षित वर्ग का चिकित्सक यदि अनारक्षित वर्ग के पद पर आवेदन करता है तो उसे अनारक्षित वर्ग के पद की शूल्क राशि जमा करनी होगी।

### अन्य शर्तें

1. साक्षात्कार में भाग लेने हेतु उम्मीदवार अनारक्षित /अ.जा./ अ.ज.जा/ अ.पि.व. श्रेणियों में आवेदन कर सकेंगे। आरक्षित श्रेणी आवेदकों को रूपये 250/- एवं अनारक्षित श्रेणी आवेदकों को रूपये 500/-आवेदन शुल्क भरना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग का चिकित्सक यदि अनारक्षित वर्ग के पद पर आवेदन करता है तो उसे अनारक्षित वर्ग के पद की शूल्क राशि जमा करनी होगी। आवेदन शुल्क गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के खाते में IMPS/NEFT /बैंक ड्राफ्ट द्वारा Account Name:- CEO & Dean Gandhi Medical College, Bhopal. Bank Name:- State Bank of India Account No:- 10625211248 IFSC Code: SBIN0010140 में जमा कराना होगा। शुल्क संचालन की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। जो किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जावेगा।
2. इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त सभी व्यक्ति मध्य प्रदेश. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के द्वारा शासित होगा।
3. इन नियमों के अंतर्गत दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष द्वारा एक माह पूर्व की नोटिस अथवा इसके बदले एक माह का वेतन देकर किसी भी समय सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
4. सेवारत उम्मीदवारों को आवेदन पत्र उचित माध्यम द्वारा प्रस्तुत करना होगा। विभाग द्वारा आवेदन अग्रेषित नहीं होने पर सेवारत उम्मीदवार के प्रकरण पर विचार नहीं किया जायेगा। सेवारत उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय अपने विभाग की अनापत्ति प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर साक्षात्कार में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
5. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध के स्थाई प्रमाणपत्र (तत्सम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की छायाप्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  - (I) आयु के संबंध में हाईस्कूल/हायर सेकेन्डी परीक्षा प्रमाणपत्र/ अधिकतम आयु एम.सी.आई. मापदण्डानुसार 45 वर्ष होगी।
  - (II) एम.बी.बी.एस. परीक्षा संबंधी प्रत्येक वर्ष की अंकसूची।
  - (III) एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस. /डी.एन.बी./डिप्लोमा

(IV) स्नातकोत्तर उपाधि पश्चात अनुभव प्रमाणपत्र (यदि हो)।

(IV) स्नातकोत्तर उपाधि संबंधी अभि प्रमाणित प्रमाणपत्र (यदि हो)।

6. म.प्र. मेडिकल कौंसिल में सभी मेडिकल डिग्रियों के पंजीयन प्रमाण पत्र । मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर के एम. सी.आई. से ऐफिलेसन होने तक छूट प्रदान की गई।
7. पब्लिकेशन संबंधी प्रमाणपत्र एवं प्रेसेन्टेशन (ओरल/पोस्टर) की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ( मूल दस्तावेज साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना)
8. साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी । म.प्र. शासकीय, स्वशासी चि.म. वि. के आवेदको को मूल प्रमाण पत्र अधिष्ठाता के पास जमा होने पर अधिष्ठाता द्वारा दिया गया इन अभिलेखों का जमा होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
9. उम्मीदवार को एम.डी/एम.एस. होने का attempt certificate परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त 15 दिवस में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
10. ओ.बी.सी. उम्मीदवार को तहसीलदार/तत्सम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वर्तमान आय प्रमाण पत्र।
11. चयन के लिए गांधी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण हुये विद्यार्थियों को यथा संभव पहली प्राथमिकता दी जावेगी एवं दूसरी प्राथमिकता म. प्र. के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण हुये चिकित्सक को दी जावेगी।
12. प्रत्याशी अगर म. प्र. शासन के अंतर्गत ग्रामीण सेवा का अनुबंधित हो तो उस पर म. प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 4-7/2010/1/55 दिनांक 25.8.2010 के अनुसार ग्रामीण सेवा संबंधी नियम लागू होगा । चयन होने पर उम्मीदवार को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति होगी।
13. प्रस्तुत साक्षात्कार हेतु किसी भी बदलाव के लिए अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल का निर्णय अन्तिम माना जायेगा ।

## घोषणा पत्र

मैं, ..... यह घोषण करता / करती हूँ कि गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में होने वाली  
सीनियर / जूनियर रेसिडेंट के पद के लिये साक्षात्कारी में उपस्थित हुआ / हुई हूँ इसके अतिरिक्त मैं अन्य किसी शासकीय  
सेवा में कार्यरत नहीं हूँ अगर कार्यरत पाया जाता हूँ / जाती हूँ तो मेरा आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

दिनांक .....

आवेदक का नाम .....

हस्ताक्षर .....